The Sameeksha Global: A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 5, Issue 2 – 2021
ISSN: 2581-401X

भारतीय अर्थव्यवस्था में जी0एस0टी0 की भूमिका-एक अध्ययन
(Role of GST in Indian Economy-A Study)

Rajesh Kumar Trivedi[1]
[1]*Assistant Professor, Deptartment of Commerce, P.P.N. P.G. College, Kanpur.*

सारांश

आजादी के 70 साल बाद संसद के केन्द्रीय कक्ष में कुछ ऐसा नजारा पेश हुआ जैसे कि 14/15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में देश आजाद करने की घोषणा के साथ हुआ था। 30 जून 2017 को रात बारह बजे ससंद के केन्द्रीय कक्ष में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी में घंटा बजते ही जी.एस.टी. अर्थात एक देश एक कर के साथ एक बड़े आर्थिक बदलाव का युग शुरू हो गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी.एस.टी. को गुड एण्ड सिम्पल टैक्स करार दिया। यह भी कहा कि अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और जनता तथा कारोबारियों का कर बोझ कम होगा. पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था होगी, और एक फार्म के जरिए व्यापारी ऑनलाइन व्योरा दे सकेगें। वहीं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि जी.एस.टी. से न सिर्फ इंस्पेक्टर राज खत्म होगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि हम एक नई व्यवस्था में आ रहे हैं। जी.एस.टी. के तहत सभी रिटर्न सॉफ्टवेयर से भरे जाएगें। इससे व्यापारियों को दिक्कत नहीं होगी। यह भी कहा कि 18 बैठकों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, जब किसी फैसले पर वोटिंग की नौबत आई हो। हर बार सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। परिषद में शामिल राज्यों के वित्तमंत्री और अधिकारी रात भर कार्यरत रहे और लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान की।

मुख्य शब्द: जीएसटी, अर्थव्यवस्था, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जीएसटीयन।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

प्रस्तावना

गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी आजादी के बाद सभवतः पहला ऐसा आर्थिक सुधार है। जिस पर व्यापक रूप से इतनी चर्चा हो रही है। 1991 के ऐतिहासिक सुधारों पर एक सीमित वर्ग ने ही गौर किया था। 1990 के दशक की शुरूआत में कराए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार आबादी के एक बहु त बड़े तबके को उन सुधारों की कोई जानकारी ही नहीं थी या यूं कहे कि देश का एक बहु त बड़ा हिस्सा उन सुधारों से अनमिज्ञ था। इसके बाद अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार के समय किए गए तमाम दूरगामी सुधारों की भी सुधि तमाम जानकारों ने नहीं ली। जबकि वे ऐसे सुधार थे, जिनके चलते 2003 से 2012 के बीच आठ फीसदी से ऊंची आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना मुमकिन हु आ। अगर जीएसटी की बात करे तो इसने समाज के सभी तबको का ध्यान अपनी ओर खीचा है। इसके लिए पिछले एक दशक के दौरान लोगों के जीवन में मीडिया की बढ़ी पैठ काफी हद तक सहायक रही। इसके अलावा जीएसटी पर आम सहमति कायम करने के लिए मौजूदा सरकार के हर संभव उपाय भी सहायक सिद्ध हु ए है। यह कर सुधार इतने लोगों का ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि यह उनसे सीधा जुड़ा है। कारोबारी लोगों को तो अपनी कारोबारी गतिविधियाँ जारी रखने के लिए जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीयन से जुड़ना ही है। इसके तहत समूची बिक्री पर टैक्स का ब्योरा देकर के उस पर जीएसटीएन प्लेटफॉर्म के दौरान अपने इनपुट पर अदा किए गए कर के एवज मे कर छूट का दावा भी करना होगा। दूसरे तमाम लोग उपभोक्ता के रूप में इससे प्रभावित हो रहे हैं।

जी0एस0टी0 का पंजीकरण

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसाय को निम्नलिखित सुविधायें/लाभ प्रदत्त हैं।

- वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।
- इनपुट वस्तुओं या सेवाओं के समुचित कर भुगतान के लेखा जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या व्यापार द्वारा दोनो पर देय जी.एस.टी. भुगतान के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- अपने खरीदारों से कानूनी तौर पर कर जमा करने और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर खरीदार या प्राप्तकर्ताओं को देय करों को क्रेडिट करने के लिये अधिकृत किया है।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

बिना जी.एस.टी. पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों से जी.एस.टी. एकत्र कर सकता है और न ही अपने द्वारा भुगतान किए गए जी.एस.टी. के किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता हैं। पंजीकरण के लिए जहां पर आवेदन किया गया है उसकी प्रस्तुति के 30 दिनों के भीतर व्यक्ति पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि उसके पंजीकरण के अपने दायित्व की तिथि होगी। जहाँ आवेदक द्वारा पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है उसके 30 दिनों के बाद यह पंजीकरण का उत्तरदायी बन जाता है. पंजीकरण की प्रभावी तिथि उसे पंजीकरण प्रदान करने की तारीख होगी। स्वतः पंजीकरण के मामले में, अर्थात स्वेच्छा से पंजीकरण करने, जबकि कर भुगतान के लिए सीमा में छूट की सीमा के भीतर है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि पंजीकरण के आदेश की तिथि होगी।

कोई भी आपूर्तिकर्ता जो भारत के किसी भी स्थान से व्यापार कर रहा है और जिसकी कुल बिक्री एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक है वह स्वयं पंजीकरण के लिये उत्तरदायी है। हालांकि, ऐम.जी.एल. अनुसूची3 में उल्लिखित व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को इस सीमा का ख्याल किये बिना पंजीकृत किया जा सकता है। एक किसान को कराधीन व्यक्ति नहीं माना जायेगा और वह पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। {धारा 9 (1) के अनुसार}

एम.जी.एल. की धारा 2(6) के अनुसार, कुल बिक्री में कुल मूल्य शामिल हैः

I. सभी कर योग्य और गैर-कर योग्य आपूर्तियां,
II. छूट प्राप्त आपूर्तियां, और
III. एक ही पैन के व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का निर्यात

उपरोक्त की अखिल भारतीय स्तर पर संगणना की जायेगी और इसमें सी.जी.एस.टी. अधिनियम, एस.जी.एस.टी. अधिनियम और आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंर्तगत वसूल किये गये शुल्क शामिल नहीं होंगे। कुल बिक्री में आपूर्तियों के मूल्य जिन पर रिवर्स शुल्क के आधार पर कर लगाया जाता है, और आवक का आपूर्ति मूल्य शामिल नहीं होंगे।

एम.जी.एल. की अनुसूची प्प्प् के पैरा 5 के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित सीमा की परवाह किए बिना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।

- व्यक्ति जो किसी प्रकार की अंतर-राज्य कराधीन आपूर्ति कर रहे हैं।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

- आकस्मिक कराधीन यक्ति।
- वे यक्ति जिन्हें रिवर्स प्रभार के अंर्तगत कर भुगतान करना आवश्यक है।
- अनिवासी (एनआरआई) कराधीन व्यक्ति ।
- वे व्यक्ति जिन्हें धारा 37 के अंर्तगत कर की कटौती करना आवश्यक है।
- वे व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कराधीन व्यक्तियों की ओर से वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, चाहे अभिकर्ता या अन्य किसी रूप में।
- इनपुट सेवा वितरक/डिस्ट्रीब्यूटर।

मॉडल जी.एस.टी. कानून के अंर्तगत समय सीमा जिस तिथि को वह पंजीकरण करने के लिये उत्तरदायी हो जाता है, उस तिथि के तीस दिनों के भीतर उसे पंजीकरण कर लेना चाहिये. इस विधि और इस तरह की शर्तों के अधीन जिस प्रकार वे निर्धारित की जा सकती हैं। प्रत्येक वह व्यक्ति जो पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी है उसे प्रत्येक उन राज्यों में अलग-अलग पंजीकरण लेना आवश्यक है जहां पर वह व्यवसाय संचालित कर रहा है और मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 19 की उप-धारा (1) के अनुसार जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रत्येक व्यक्ति के पास मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 19 के अंर्तगत पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के क्रम में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया स्थायी खाता संख्या (पैन) रखना अनिवार्य होगा। हालांकि एम.जी.एल. की धारा 19 (4ए) के अनुसार, अनिवासी/एनआरआई कराधीन व्यक्ति के लिये पैन रखना अनिवार्य नहीं है और उसे किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण दिया जा सकता है, जिस रूप में उसे निर्धारित किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के सभी निकायों के वाणिज्य दूतावासों या विदेशी देशों के दूतावासों और किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को जिन्हें अधिसूचित किया गया है उन्हें जी.एस.टी. पोर्टल से एक विशिष्ट पहचान संख्या (यू.आई.एन.) प्राप्त करना आवश्यक होगा। कथित आईडी की संरचना जी.एस.टी.आई.एन. के अनुरूप सभी राज्यों में एक समान होगी और वह केंद्र और राज्यों के लिए भी एक समान होगी। इन यू.आई.एल. की जरूरत उनके द्‌वारा करों के भुगतान की वापसी का दावा करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिये होगी. जिसे जी.एस.टी. नियमों में निर्धारित किया जा सकता है।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

The Sameeksha Global: A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 5, Issue 2 – 2021
ISSN: 2581-401X

जीएसटी से पहले और बाद की दरों पर नजर

वस्तु	जी.एस.टी. लागू होने पर पूर्व की कर की दर	जी.एस.टी. लागू होने के बाद की कर की दर
अति उच्च तापमान पर प्रसंस्करित दूध	8.41	5
डेयरी स्प्रेड्स	17.99	12
चीज (दुग्ध उत्पाद)	17.99	12
काजू	9.41	5
किशमिश	8.48	5
अन्य ड्राई फ्रूट्स व नट्स (मेवा)	11.80	12
बिना छिलके वाने अनाज	2.64	0
शुगर कंफेक्शनरी	23.81	18
पास्ता, स्फेगेटी, मेकरॉनी नुडल्स	23.11	18
फल व सब्जियां व अन्य खाद्य उत्पाद	13.13	12
अचार, चटनी व मुरब्बा	13.13	12
इंस्टेंट कॉफी	29.58	28
केचअप व सॉस	14.97	12
अगरबती	12.41	5
मेयोनीज, मिश्रित मसाले व सीजनिंग	18.89	18
सरसों का सॉस	14.97	18
टॉपिग्स, स्प्रेड्स व सॉस	14.97	18
इंस्टेंट फूड मिक्स	23.11	18
मीठी सुपारी	18.86	18
फरसाण	12.50	18
दालों से बनी बड़ियां (मंगोड़ी)	13.04	12
ठोस बर्फ व चूरा बर्फ	7.64	5

उपरोक्त जी.एस.टी. की दरें समयानुसार परिवर्तनीय हैं।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

भारतीय अर्थव्यवस्था में जी0एस0टी0 की भूमिका

कारोबारी लोगों को तो अपनी कारोबारी गतिविधिया जारी रखने के लिए जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीयन से जुड़ना ही है। इसके तहत समूची बिक्री पर टैक्स का ब्योरा देकर के उस पर जीएसटीएन प्लेटफॉर्म के दौरान अपने इनपुट पर अदा किए गए कर के एवज मे कर छूट का दावा भी करना होगा। दूसरे तमाम लोग उपभोक्ता के रूप में इससे प्रभावित हो रहे है और उन्हें अतीत में अदा किए जाने वाले तमाम अप्रत्यक्ष करो के स्थान पर केवल जीएसटी का भी भुगतान करना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे देश के किसी भी कोने से उत्पाद खरीदें, उस पर टैक्स की समान दर लगेगी। अब वे किस्से बीती बात बनकर रह जाएगे कि अमुक ने वाहन उस राज्य जाकर खरीदा जिस राज्य में उस पर कर की दर कम थी। राजनीतिक एवं नौकरशाही के स्तर पर भी जीएसटी को लेकर काफी जागरूकता का भाव है। एक ओर जहां इस सुधार को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने से लेकर तमाम तरह के विधेयकां को पारित कराने की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार और विभिन्न राष्ट्रों के बीच जीएसटी के तानेबाने और जीएसटी परिषद के गठन पर विचार के लिए वार्ताओं के लम्बे दौर भी चले। इस सुधार पर सहमति के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच अनुकरणीय साझेदारी की दरकार थी। उसके बिना इसका आस्तित्व में आना सम्भव नहीं था। इस सबके बीच सरकार के समक्ष जनता को यह समझाने की चुनौती थी कि जीएसटी समूची कर व्यवस्था में कितना क्रान्तिकारी बदलाव का बाहक बनेगा। वास्तव में जीएसटी का प्रभाव देश की सीमाओं से परे भी दिखेगा। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ नियमो के तहत सम्बन्धित देश इनका लाभ उठा सकते हैं कि वे अपने यहां से निर्यात होने वाली वस्तुओं को अप्रत्यक्ष करो में रियायत देकर उन्हें आयात से सम्बद्ध कर ले। अतीत में भारत इन नियमों का आंशिक रूप से ही लाभ उठा पाया है। क्योंकि हमारे अप्रत्यक्ष कर ढाचे में एकरूपता नही थी। वह ढांचा पूरी तरह से छिन्न-भिन्न था। जीएसटी के साथ ही इस पुराने ढाचे की विदाई हो गई। इस सुधार ने विदेशी निवेशकों का ध्यान भी आकर्षित किया है, क्योंकि यह कर ढांचे को सुगम बनान उसमें व्यापक निरंतरता को लेकर भी आश्वस्त करता है। आर्थिक क्षमता बढ़ाने का सिद्धान्त यही कहता है कि समूची उत्पादन श्रृंखला या वैल्यू चेन में किसी आगम वस्तु यानी इनपुट पर एक बार टैक्स लगने के बाद उनपर आगे टैक्स नहीं लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर विनिर्माण में असंगत रूप से इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर उत्पादकां को अवश्य ही कर अदा करना पड़ता है, लेकिन उन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों पर, नही जिनका सेवा उद्योग में असंगत रूप से इस्तेमाल होता है। वैल्यू चेन पर सभी आगमों पर कर हटाकर जीएसटी आदर्श रूप में इस पक्षपात को खत्म करता है।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

जीएसटी का एक बड़ा लाभ यह भी है कि यह कर अपवंचना यानी कर चोरी पर भी विराम लगाएगा। कई विक्रेता विक्री रसीद जारी करने से कतराते हुए कर चोरी की फिराक में लगे रहते है। जीएसटी के तहत खरीदार को यह लाभ मिलेगा कि यह दुकानदार से रसीद लेने के लिए जोर दे ताकि वह इनपुट पर अदा किए कर की क्षतिपूर्ति के दावे के लिए उस रसीद को पेश कर सके। अगर कोई गड़बड़ी करने कि कोशिश करेगा वो उसे पकड़ने का तंत्र भी इन-बिल्ट मैकेनिस्म के रूप में है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी आजादी के बाद सभवतः पहला ऐसा आर्थिक सुधार है। जिस पर व्यापक रूप से इतनी चर्चा हो रही है। 1981 के ऐतिहासिक सुधारों पर एक सीमित वर्ग ने ही गौर किया था। 1990 के दशक की शुरूआत में कराए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार आबादी के एक बहुत बड़े तबके को उन सुधारो की कोई जानकारी ही नहीं थी या यूं कहे कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन सुधारों से अनभिज्ञ था। इसके बाद अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार के समय किए गए तमाम दूरगामी सुधारों की भी सुधि तमाम जानकारों ने नहीं ली। जबकि वे ऐसे सुधार थे जिनके चलते 2003 से 2012 के बीच आठ फीसदी से ऊंची आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना मुमकिन हुआ। अगर जीएसटी की बात करें तो इसने समाज के सभी तबको का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके लिए पिछले एक दशक के दौरान लोगों के जीवन में मीडिया की बड़ी पैठ एक बड़ी हद तक जिम्मेदार है। इसके अलावा जीएसटी पर आम सहमति कायम करने के लिए मौजूदा सरकार के हर संभव उपाय भी हैं। यह कर सुधार इतने लोगों का ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योकि वह उनसे सीधा जुड़ा है। कारोबारी लोगों को तो अपनी कारोबारी गतिविधियाँ जारी रखने के लिए जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीयन से जुड़ना ही है। इसके तहत समूची बिक्री पर टैक्स का ब्योरा देकर के उस पर जीएसटीएन प्लेटफॉर्म के दौरान अपना इनपुट पर अदा किए गए कर के एवज में कर छूट का दावा भी करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. परीक्षा मंथन-वार्षिकांक, 2014, पेज-69.
2. योजना-सितम्बर, 2013, पेज-19.
3. योजना- अक्टूबर, 2015, पेज-3.
4. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रक्रिया खण्ड 1.2 लाभबंदी।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

5. रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण, 2011-12.
6. Economic Survey – 2015-16, Govt. of India.
7. 12th Five Years Plan -2012 to 2017.
8. C.A. Rohini Agarwal, Dr. Neelam Goel-Sultan Chandr & Sons (P) Ltd., New Delhi, 2019.

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.